फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती कंकुबाई   **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि.   **पत्रावली संख्या : 49/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.11.2022 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में तलब की गई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। अधिवक्ता वादीया द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती कंकु का पेश किया, जो रेकार्ड पर लिया जाता हैं। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब को बहस माना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम टकुबाई पत्नी सोहनलाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती कंकु, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक ग्राम पं./46/2020 दिनांक 10.07.2020 प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में वादीया का नाम कंकु पत्नी सोहनलाल अंकित है। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसना पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 967, 968, 970 किता 13 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार टकुबाई पत्नी सोहनलाल के बजाय टकुबाई उर्फ कंकु पत्नी सोहनलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2022.11.23 10:18:04 IST Reason: SelfAttested (श्रीकान्त व्यास) **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 49/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00107

उनवान

1. श्रीमती कंकु पत्नी सोहनलाल डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।

..................वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा आसना पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 967, 968, 970 किता 13 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार टकुबाई पत्नी सोहनलाल के बजाय टकुबाई उर्फ कंकु पत्नी सोहनलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.11.2022 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:04 IST
Reason: SelfAttested